FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः—अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

सरकार बनाम श्री पुष्पेन्द्र प्रजापत

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर :— 18/2025

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006

2025/170

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.12.2025	प्रार्थी सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(2) एफ.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथी को नोटिस जारी कर तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 23/1/2026 को पेश हो। अति0 जिला कलेक्टर कोटा	नोटिस 807-08 29/12/2025
23/01/26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा आज ________ के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5/2/26 को पेश हो।	
5/2/26	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में अवमानक **(sub standard)** वनस्पति विक्रय करना पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अत 1. श्री पुष्पेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री पूरणमल प्रजापत उम्र 27 वर्ष, मैसर्स—जय श्री कृष्ण चकधारी मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड इटावा, जिला कोटा निवासी— चन्द्रा मार्केट इटावा, जिला कोटा (विकेता) 2. श्री पूरणमल प्रजापत (लाइसेंसी) मैसर्स—जय श्री कृष्ण चकधारी मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड इटावा, जिला कोटा निवासी— चन्द्रा मार्केट इटावा, जिला कोटा पर 15,000/— रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अति0 जिला कलेक्टर कोटा अति. जिला कलेक्टर कोटा	Pushpendra Deposit vide R. No. ... Dated 05-02-2026 Rs. 15,000/- ... कैशियर कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त ... कोटा